



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 08 अप्रैल, 2021 ई०
(चैत्र 18, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 1346/दस-लाइसेंस-61/वि०म०-फुटकर नियमावली/2021-2022
प्रयागराज, दिनांक : 08 अप्रैल, 2021 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-26

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम, संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 10806/दस-97बी/संसाधन दिनांक 08 मार्च, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों की व्यवस्थापन नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (उन्नीसवों संशोधन) नियमावली, 2021

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (उन्नीसवों संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन—उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी शराब (बीयर को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली, 2001, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

2(1) परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है।

(ख) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है।

(ग) "विदेशी शराब" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन और मदिरा (लिक्युअर्स) सम्मिलित हैं,

(घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ङ) "परिवार" का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित-पुत्री/पुत्रियाँ और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं।

(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है।

(ज) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है।

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की भोश आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2(1) परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) "दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण आबकारी वर्ष के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(ग) "विदेशी शराब" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, वाइन, मदिरा (लिक्युअर्स) और कम तीव्रता के मादक पेय सम्मिलित हैं;

(घ) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ङ) "परिवार" का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित-पुत्री/पुत्रियाँ और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं;

(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(छ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;

(ज) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी मदिरा एवं वाइन की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल फीस के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है;

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो दुकान के लिए लाइसेंस फीस की देयताओं का निर्धारण वर्ष की भोश आबकारी अवधि के समानुपातिक किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा की जायेगी जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

(ञ) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स-फैक्ट्री प्राइस के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

(ढ) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है।

(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।

(त) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि से है, जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट द्वारा जमा की जायेगी जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है;

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद या राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

(ञ) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स-फैक्ट्री प्राइस के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी तथा थोक लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 वें भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी;

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई-लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लिये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

(ढ) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है;

(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।

(त) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।

(द) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा और वाइन पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

3-नियम-13 का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम-13 शराब का उठान-(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जाय, अधिमानतः

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है;

(द) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा और वाइन पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो विदेशी मदिरा और वाइन की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी।

(ध) "कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0)" का तात्पर्य कार्बोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य किसी द्रव्य को मिलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे कि वह विशिष्ट स्वाद वाली हो जाय ;

(न) "त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा नियत और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के त्रैमास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत विदेशी मदिरा, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय से प्राप्त समान राजस्व से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-13 शराब का उठान-(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जाय, अधिमानतः

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2) से एवं जिला/प्रभार/राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंसधारी से आयातित विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिले में विदेशी मदिरा-2 का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठायी गयी विदेशी मदिरा की मात्रा निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम गत वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठायी गयी विदेशी मदिरा की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के बराबर की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा।

(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी त्रैमास में कम से कम अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है, तो अगले त्रैमास हेतु उठान रोक दी जायेगी।

(दो) लाइसेंसधारी विलम्बमर्षण हेतु एवं उस त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने के लिए एक भाषण पत्र के साथ अनुरोध करेगा। विलम्ब मर्षित किये जाने पर लाइसेंसधारी, त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।

(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले त्रैमास के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत त्रैमास में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक त्रैमासों की त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और भोश प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।

यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू-राजस्व का बकाया हो।

(घ) (एक) त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर त्रैमासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जायेगा।

(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंसधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रूप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

(चार) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित कोटा अंतरण फीस, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा अनुरोध किये जाने के समय संदेय होगी।

परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उसी प्रकार से, अंतरिती लाइसेंसधारी अपने त्रैमासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक ऐसा अंतरित कोटा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

4-प्रपत्र-एफ0एल0-5 (घ) और एफ0एल0 5घ (1) का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-5 (घ) और एफ0एल0 5घ (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम
विदेशी मदिरा-5 (घ)
(नवीकरण हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द
बोतलों/कैन/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा (बीयर को
छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री
के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या.....
जिला.....
दुकान का नाम.....जिला.....
लाइसेंस फीस रूपया
(अंकों में).....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0
(अंकों में).....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
उत्तर :
दक्षिण :
पूरब :
पश्चिम :

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
विदेशी मदिरा-5 (घ)
(नवीकरण हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द
बोतलों/कैन/टेट्रापैक में विदेशी मदिरा (बीयर को
छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री
के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह-आवेदक का फोटो
---------------	------------------

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या.....
जिला.....
दुकान का नाम.....जिला.....
लाइसेंस फीस रूपया
(अंकों में).....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0
(अंकों में).....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)
उत्तर :
दक्षिण :
पूरब :
पश्चिम :

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

(3).....पुत्र.....निवासी

(4).....पुत्र.....निवासी

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रापैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. के सहित 90 मि.ली. तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांकसे 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

(3).....पुत्र.....निवासी

(4).....पुत्र.....निवासी

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/कैन/टेट्रापैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. (रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांकसे 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2) एवं जिला/ प्रभार/ राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2 लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6-विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) और विदेशी मदिरा एवं वाइन की सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6-विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा एवं वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. (रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोटलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा-

"> दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई (बी आई आई) व 6 लीटर आयातित विदेशी मदिरा प्रत्येक अलग-अलग जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित है; 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग तथा 2 लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा से अधिक मात्रा की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज.इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोटलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइन बोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा-

"> दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"

10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोटल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

12—उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13—लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि. ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14—लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15—सिवाय लाइसेंसधारी/विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16—लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17—लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

18—विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19—लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

12—उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13—लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि. ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14—लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15—सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16—लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17—लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

18—विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19—लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी**स्तम्भ-2**

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सामान्य और विशेष शर्तें

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी**विदेशी मदिरा-5 घ (1)**

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों/केन्स/टेद्रापैक्स में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो
---------------	---------------

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....

जिला.....

दुकान का नाम.....जिला.....

लाइसेंस फीस रूपया

(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0

(अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)

उत्तर :.....

दक्षिण :

पूरब :.....

पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

विदेशी मदिरा-5 घ (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोटलों/केन्स/टेद्रापैक्स में विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो
---------------	---------------

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....

जिला.....

दुकान का नाम.....जिला.....

लाइसेंस फीस रूपया

(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0

(अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)

उत्तर :.....

दक्षिण :

पूरब :.....

पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

- (1).....पुत्र.....निवासी
- (2).....पुत्र.....निवासी
- (3).....पुत्र.....निवासी
- (4).....पुत्र.....निवासी

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. के सहित 90 मि.ली. तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांकसे 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2) एवं जिला/ प्रभार/ राज्य के एफ0एल0-2डी लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2 लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

- (1).....पुत्र.....निवासी
- (2).....पुत्र.....निवासी
- (3).....पुत्र.....निवासी
- (4).....पुत्र.....निवासी

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिए विदेशी मदिरा (बीयर को छोड़कर) (वाइन सहित) मानक बोतलों/केन्स/टेट्रापैक में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. (रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है, की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना....., तहसील..... के लिए दिनांकसे 31 मार्च 20..... तक के लिए जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

2—लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3—विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4—लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5—किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6—विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों /कैन्स/ टेट्रापैक्स में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) और विदेशी मदिरा एवं वाइन की सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

7—लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज. इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8—लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

2—लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3—विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4—अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।

5—किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

6—विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा एवं वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. (रिगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके ऊपर की श्रेणियों में) शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में और विदेशी मदिरा एवं वाइन की सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।

7—लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज. इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8—लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

9—लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:—

"> दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"

10—लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11—लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई (बी आई आई) व 6 लीटर आयातित विदेशी मदिरा प्रत्येक अलग-अलग जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित है; 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग-अलग तथा 2 लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा से अधिक मात्रा की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12—उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13—लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि. ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि०ली. की निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

सामान्य और विशेष शर्तें

9—लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:—

"> दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"

10—लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत विक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11—लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम(व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल0ए0बी0 (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

12—उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13—लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि. ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि०ली. की निर्धारित धारिता की बोतलों/केन्स/टेट्रापैक्स या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

सामान्य और विशेष शर्तें

14—लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15—सिवाय लाइसेंसधारी/विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16—लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17—लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

18—विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19—लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20—लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

21—विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

सामान्य और विशेष शर्तें

14—लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15—सिवाय लाइसेंसधारी/विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16—लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

17—लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं प्रदान किया जायेगा।

18—विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19—लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20—लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

21—विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

पी0 गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ**No. 1346/X-Licence-61/FL-Retail Niyamawali/2021-22***Prayagraj, dated: April 8, 2021***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24-B and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no-IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise Settlement of licences for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer and Wine) Rules, 2001 published vide Excise Commissioner notification no. 10806/X- 97B/Sansdhan dated March 08, 2001 (as amended time to time).

THE UTTAR PRADESH EXCISE SETTLEMENT OF LICENCES FOR RETAIL SALE OF FOREIGN LIQUOR (EXCLUDING BEER) (NINETEENTH AMENDMENT) RULES, 2021.

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise Settlement of Licenses for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) (Nineteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-2—In the Uttar Pradesh Excise Settlement of Licenses for Retail Sale of Foreign Liquor (Excluding Beer) (Nineteenth Amendment) Rules, 2001, hereinafter referred to as the said rules, for rule-2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I <i>Existing rule</i>	Column II <i>Rule as hereby substituted</i>
2(1) Definition:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-	2(1) Definition:- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.	(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.
(b) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole excise year.	(b) "Daily Licence Fee" means 1/365th part of the fixed licence fee for the whole excise year.
(c) " Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, Wine and Liqueurs.	(c) " Foreign liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirits or liquors made in India, and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Liqueurs and Low-strength Alcoholic Beverages (LAB) .
(d) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year.	(d) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year.
(e) "family" means and included spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;	(e) "family" means and included spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;
(f) "Form" means the form appended to these rules;	(f) "Form" means the form appended to these rules;

Column I*Existing rule*

- (g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
- (h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration fee for the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor and wine in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof;
- Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year.
- (i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed deposit receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.
- Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded.
- (j) "State" means the State of Uttar Pradesh.
- (k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.
- (l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules.

Column II*Rule as hereby substituted*

- (g) "Licensing Authority" means the Collector of the District;
- (h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration fee for the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor, wine in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof;
- Provided that if such shop is settled/ re-settled during middle session for the remaining period of the year, then license fee for shop shall be determined in proportion to the remaining period of the excise year.
- (i) "Security amount" means a sum equal to ten percent of the licence fee to be deposited through Fixed deposit receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government.
- Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate (N.S.C.) shall be acceptable till it is not refunded.
- (j) "State" means the State of Uttar Pradesh.
- (k) "Additional Consideration fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor to the next multiple of ten rupees, which shall be payable at Distillery level and recoverable by distillery from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.
- (l) "Earnest money" means the amount equal to 1/10 of the amount of licence fee, to be tendered with application form, for ensuring the fulfillment of the eligibility conditions for the grant of licence and is liable to be forfeited in case of default under provisions of rule-12 of these Rules.

Column I

Existing rule

- (m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery.
- (n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution.
- (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence.
- (p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application.
- (q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.
- (r) "consideration fee" means a fee for foreign liquor and wine as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor and wine.

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Column II

Rule as hereby substituted

- (m) "Hierarchy" means the earnest money of shops in the descending order purported to be the basis for the selection of licensee through the process of e-lottery.
- (n) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the terminal stage of its distribution.
- (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of retail licence.
- (p) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of application.
- (q) "Settlement" means settlement or re-settlement of shops through renewal, e-lottery or e-tender which may take place on any day of the week by giving prior notice and intimation through the newspaper and website of the excise department. The settlement of shops for the forthcoming year may also be done prior to the cessation of preceding financial year.
- (r) "consideration fee" means a fee for foreign liquor and wine as fixed by the State Government under section 30 of the Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply of foreign liquor and wine.
- (s) "Low-strength Alcoholic Beverages (LAB)" means the carbonated alcoholic beverages having alcohol up to 5% v/v and above 5% v/v to 10% v/v manufactured from Extra Neutral alcohol (E.N.A.) and sophisticated by addition of flavoring or coloring matter or both and any other material so as to give it a special flavor.
- (t) "Quarterly Minimum Guaranteed Revenue" means the equivalent revenue from Foreign liquor, Wine and LAB as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop during a quarter of an Excise year for the purpose of retail sale.

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-13--In the said rules, for existing rule-13 set out in Column-I below, the the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I

Existing Form

13-Lifting of liquor- The licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor including wine from any wholesale licence (F.L.2) of the districts & FL-2D of district/charge/state after making full payment of cost price of Foreign Liquor including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L.-2 licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licence (F.L.2) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner

In case of insufficient supply of any district, District excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner.

(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign liquor to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal, requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or, message to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter foreign liquor, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor lifted in the preceding year."

Column II

Form as hereby substituted

13-Lifting of liquor- The licensee under these rules shall obtain supplies of Foreign liquor including Wine from any wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of cost price of Foreign Liquor, including all Taxes, Consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the F.L.-2 /F.L.2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of Foreign liquor including wine , from wholesale licence (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner

In case of insufficient supply of any district, District excise officer shall seek the orders from Excise Commissioner.

(b) "Licensee shall be under obligation to regularly lift Foreign liquor to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal, requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or, message to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each quarter foreign liquor, at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of foreign liquor lifted in the preceding year."

(C)(i) Provided, In case the licensee fails to lift liquor (foreign liquor, wine and LAB) at least equivalent to his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in a quarter, lifting for the next quarter shall be withheld.

(ii) The licensee shall make a request for condonation of delay and for lifting of liquor equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of that quarter along with an affidavit. Upon condonation, the licensee shall deposit an additional security equivalent to the shortfall in Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.

(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of liquor equivalent to such shortfall in previous quarter along with Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the next quarter.

Column I
Existing Form

Column II

Form as hereby substituted

- (iv) In case licensee fails to lift liquor equivalent to the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of one or more quarters before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded.

If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .

- (d)(i) The licensee desiring to transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion(quota) on a quarterly basis, within an excise district.
- (ii) The transferor licensee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.
- (iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transfer Quarterly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligations regarding lifting of his original quota shall not be affected.
- (iv) A quota transfer fee as prescribed by the Excise Commissioner with the previous approval of the State Government, shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request.

Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Quarterly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee. Similarly, the transferee licensee shall not be entitled to receive such transferred quota, in excess of 20% of his Quarterly Minimum Guaranteed Revenue.

4-- Amendment of forms F.L. 5 (D) and F.L.5 D(1)--In the said rules, for existing Form F.L.5(D) and F.L.5D (1) setout in Column-I below, the forms as in Column-II shall be substituted, namely:-

Column I*Existing Form*

F.L.--5(D)
(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/TetraPacks for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of co-applicant
Photo of shop	

Latitude/Longitude of shop.....

Licence No.....

District.....

Name of shop.....

Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)

Security amount Rs...(in figures).....(in words)

Description of premises (without boundaries)

North.....

South.....

East.....

West.....

Column II*Form as hereby substituted*

F.L.--5(D)
(FOR RENEWAL)

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/ TetraPacks for consumption "off" the premises

Photo of applicant	Photo of co-applicant
Photo of shop	

Latitude/Longitude of shop.....

Licence No.....

District.....

Name of shop.....

Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)

Security amount Rs...(in figures).....(in words)

Description of premises (without boundaries)

North.....

South.....

East.....

West.....

Column I
Existing Form

Column II
Form as hereby substituted

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---

1.....s/oR/o.....
2.....s/oR/o.....

1.....s/oR/o.....
2.....s/oR/o.....

Name, Father's Name & Address of Salesmen---

Name, Father's Name & Address of Salesmen---

1.....s/oR/o.....
2.....s/oR/o.....
3.....s/oR/o.....
4.....s/oR/o.....

1.....s/oR/o.....
2.....s/oR/o.....
3.....s/oR/o.....
4.....s/oR/o.....

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/tetra pack of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml and 60 ml (in the categories of Premium and above in glass bottles along with syrong pack) and wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s)at.....(place) in P.S.Tehsil in the District ofw.e.f.to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (**in the categories of Regular and above**) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder(s)at.....(place) in P.S.Tehsil in the District ofw.e.f.to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2) of the district and FL-2D of the district/charge/State after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2 licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price shall be printed on the lable of bottles/cans/tetrapacks of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60ml. of liquor shall be sold to any person.

6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml and 60ml (in the categories of Premium and above in glass bottles along with syrong pack) of foreign liquor and wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2/ F.L.2B) of the district after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ F.L.2B licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ F.L.2B) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price shall be printed on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60ml. of liquor shall be sold to any person.

6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (**in the categories of Regular and above**) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than 6 litres of foreign liquor, Bottled In India (BII) and imported, each separately inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin and vodka; 3 litres of wine, bottled in India and imported separately; 2 litres of other kind of Indian/imported liquor at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles/cans/ tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

The signboard will also display the following information :-

“>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles /cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

Date.....

District.....

Licensing Authority

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

Date.....

District.....



Licensing Authority

Column I

Existing Form

**F.L.—5 D (1)
(FOR NEW LICENCE)**

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/Tetrapacks for consumption "off" the premises



Latitude/Longitude of shop.....
 Licence No.....
 District.....
 Name of shop.....
 Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)
 Security amount Rs...(in figures).....(in words)
 Description of premises (without boundaries)
 North.....
 South.....
 East.....
 West.....

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
 1.....s/oR/o.....
 2.....s/oR/o.....



Name, Father's Name & Address of Salesmen---
 1.....s/oR/o.....
 2.....s/oR/o.....
 3.....s/oR/o.....
 4.....s/oR/o.....

Column II

Form as hereby substituted

**F.L.—5 D (1)
(FOR NEW LICENCE)**

Licence for the Retail Sale of Foreign Liquor (Except Beer) (including wine) in sealed Bottles/Cans/ TetraPacks for consumption "off" the premises



Latitude/Longitude of shop.....
 Licence No.....
 District.....
 Name of shop.....
 Licence fee Rs..... (in figures)..... (in words)
 Security amount Rs...(in figures).....(in words)
 Description of premises (without boundaries)
 North.....
 South.....
 East.....
 West.....

Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
 1.....s/oR/o.....
 2.....s/oR/o.....

Name, Father's Name & Address of Salesmen---
 1.....s/oR/o.....
 2.....s/oR/o.....
 3.....s/oR/o.....
 4.....s/oR/o.....

Column I*Existing Form*

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/tetrapacks of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml and 60 ml (in the categories of Premium and above in glass bottles along with syrong pack) and wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder (s) .at.....(place) in P.S.Tehsil in the District ofw.e.f.to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (F.L.2) of the district and FL-2D of the district/charge/State after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2 licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price shall be printed on the lable of bottles/cans/tetrapacks of Foreign Liquor and wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

Column II*Form as hereby substituted*

Licence for the retail sale of Foreign Liquor (except Beer) (including wine) in standard bottles/cans/ Tetra Packs of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (in the categories of Regular and above) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack ,wine in capacities as provided in relevant rules for consumption "off" the premises is hereby granted to above licence holder (s)....at.....(place) in P.S.Tehsil in the District ofw.e.f.to March 31, 20.....for which licence fee and security fee and security deposit has been made in accordance with rule-6.

The licence is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for forfeiture of the licence and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor (including wine) from the wholesale foreign liquor licensee (**F.L.2/ F.L.2B**) of the **district after** making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess etc. leviable from time to time preferably through e-payment. If the F.L.-2/ **F.L.2B** licence is not sanctioned in the concerned district, the licensee shall obtain supplies of foreign liquor including wine from wholesale licensee (F.L.2/ **F.L.2B**) of other district/districts with prior permission of Excise Commissioner.

2. In case of insufficient supply, the licensee shall inform to the District Excise Officer, who shall obtain orders from Excise Commissioner.

3. Maximum retail price shall be printed on the lable of bottles/cans/ tetra packs of Foreign Liquor and, Wine. The retail licensee shall not charge more than the printed M.R.P.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60ml. of liquor shall be sold to any person.

6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml and 60ml (in the categories of Premium and above in glass bottles along with syrong pack) of foreign liquor and wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain P.O.S (Point Of Sale) equipment as specified for scanning of bottles/cans/tetrapacks as per prescribed security code under the Track and Trace System.

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

4. Sale at the licenced premises shall be made only for consumption "off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "on" the premises.

5. No quantity less than one standard Nip bottle of 60ml. of liquor shall be sold to any person.

6. The sale shall be made in sealed bottles /cans/ tetra packs of standard capacity viz 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml including 90ml (**in the categories of Regular and above**) and 60 ml (in the categories of Premium and above) in glass bottles along with syrong pack of Foreign liquor and Wine in capacities as provided in relevant rules of above mentioned capacities with prescribed strength and quantity and which is affixed with security code approved by Excise Department, as proof of payment of consideration fee.

7. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority and the account register shall be uploaded on the upexciseonline.in portal through sms produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

8. The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor (including wine) in the licenced premises only. He shall be required to maintain requisite equipment for scanning of bottles/cans/ tetra packs as per prescribed security code under the Track and Trace System.

9. The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the shop in the form/size approved by the Excise Commissioner on which the name of the licensee, designation, location of shop, period of license, opening and closing time of shop and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters shall be printed

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

The signboard will also display the following information :-

>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than 6 litres of foreign liquor, Bottled In India (BII) and imported, each separately inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin and vodka; 3 litres of wine, bottled in India and imported, both separately; 2 litres of other kind of Indian/imported liquor at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or an official in uniform or persons below 21 years.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles/cans/tetra packs in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

The signboard will also display the following information :-

>Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.

>Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

10. The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and /or contagious diseases, or has criminal background or a woman. The Licensee shall have to obtain identity cards of the salesmen bearing their photographs duly issued by the District Excise Officer, which shall be produced as and when demanded by inspecting authorities.

11. Licensee shall not sell to any purchaser in quantity more than the notified quantities of foreign liquor inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin, vodka, wine, LAB and other kind of liquor bottled in India and imported separately at a time, except under a permit.

12. The sale should not be made to police personal below the rank of sub inspector or to a soldier or a official in uniform or persons below 21 years.

13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles/cans/tetrapacks in the prescribed capacity of 2000ml, 1000ml, 750ml, 500ml, 375ml, 180ml, 90ml and 60ml their labels and security Code affixed under security System, pilfer proof caps or seals etc.

14. The Licensee shall not keep in his licenced premises any spirit, caramel, colour, essence, security Code making apparatus lables, capsules, seals or any other noxious material.

15. The premises in which the shop is situated, shall not be used as a place of residence except by the licensee/ salesmen and his family.

16. The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

Date.....

District.....

Licensing Authority

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10 a.m. to 10 p.m. except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and upto 3 more days as notified for closure by the Licensing Authority. Licensing Authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of Foreign Liquor for which licence is granted.

19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the District Excise officer for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

20. The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

21. No Country Liquor should be stored in Foreign Liquor premises.

Date.....

District.....

Licensing Authority

P. GURU PRASHAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.